राजस्थानसरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक–पं. 7(5)कार्मिक / क–2 / 2024 जयपुर, दिनांकः 22/08/2024

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

परिपत्र

विषयः– 30 या 30 से कम पदों पर सीधी भर्ती करवाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

विभिन्न विभागों द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि जिन विभागों में कॉडर स्ट्रेन्थ 30 या 30 से कम है, के पदों की सीधी भर्ती हेतु विभागों से प्रेषित अर्थनाएं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं की जा रही है। इस सम्बन्ध में सक्षम स्तर पर परीक्षण कर निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैः–

1. ऐसे विभाग जिसमें पदों की संख्या बहुत ही कम है, ऐसी स्थिति में विभाग स्वयं के स्तर पर यह समीक्षा करें कि उक्त पद की वर्तमान में आवश्यकता है अथवा नहीं। यदि आवश्यकता नहीं हो तो ऐसे पदों को अन्य पदों में समाहित करने अथवा समाप्त करने हेतु परीक्षण कर नियमों में संशोधन की कार्यवाही करावे।
2. ऐसे विभाग जिनमें पदों की संख्या बहुत ही न्यून है, किन्तु विभाग की कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत ऐसे पदों को भरा जाना आवश्यक समझता है, तो विभाग ऐसे अन्य विभागों से जहाँ ऐसे पद अधिक संख्या में है, से प्रतिनियुक्ति पर पदों को भरने हेतु संबंधित सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही करावे।
3. जिन विभागो में समान प्रकृति के पदनाम के 30 से कम पद सृजित है, ऐसे पदों को भरने हेतु विभागों द्वारा नियमों में सशोधन की कार्यवाही कर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किया जावे ताकि एक ही परीक्षा के माध्यम से समान पदनाम के पदों को भरा जा सके एवं प्रतियोगी परीक्षा में भर्ती योग्य पदो की संख्या अधिक हो सके। इससे समय और व्यय की बचत संभव हो सकेगी। इस संबंध में विभागों से अनुरोध है कि समान प्रकृति के पदों के संबंध में विभाग अपने सेवा नियमों के अन्तर्गत परीक्षण कर, पदनाम की सूची, कार्मिक (क–2) विभाग (सेवा नियम अद्यतन प्रकोष्ठ) में भिजवाये। तत्पश्चात इन पदो को संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरने की कार्यबाही सम्पादित की जा सकेगी।
4. किसी विभाग में यदि किसी पद का कॉडर स्ट्रेन्थ 30 या 30 से कम है एवं इन पदों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनो विधियों से भरे जाने का प्रावधान है, तो विभाग ऐसे पदों का चिन्हिकरण करें एवं यदि विभाग कार्यात्मक आवश्यकता की दृष्टिगत ऐसे पदों को शत–प्रतिशत पदोन्नति से भरा जाना आवश्यक समझता है तो ही नियमों में पदों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान करने की कार्यवाही करें।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों / नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उपयुर्क्त दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना किया जाना सुनिश्चित करावे।

Signature valid
(वै... गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव
Digitally signed by Vaibhav Galriya
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2024.08.22 17:23:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 9933704

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. सचिव राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

प्रमुख शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Vaibhav Galriya
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2024.08.22 17:23:22 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 9933704

46 | 2024